# न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

**निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस**

प्रकरण संख्या **02/2016** आवंटन निरस्ती

1. श्री लालुराम पिता कन्ना मीणा निवासी काशीया, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री पेमा पिता वक्ता मीणा निवासी काशीया, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री सन्तोष पिता नाथु मीणा निवासी काशीया, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्री इन्दर पिता देवा मीणा निवासी काशीया, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्री हिरा पिता सवा मीणा निवासी काशीया, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

**—— प्रार्थीगण**

**बनाम**

1. श्री रामलाल पिता मोतीलाल चौधरी, निवासी कुराबड़, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर
2. श्रीमती बसन्तीबाई पत्नि रामलाल चौधरी निवासी कुराबड़ तहसील गिर्वा जिला उदयपुर
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर

**—— रेस्पोडेन्टगण**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ**
**भूमि आवंटन नियम 1970**

**उपस्थित:** 1. श्री नरेश जणवा, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री भीमराज पटेल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2
3. श्री मनोज कुमार पॅवार, पैरोकार सरकार

## निर्णय

**दिनांकः—...............**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम काशीया, कुराबड़, चोरिया एवं परमदा के संयुक्त आधिपत्य का एक सार्वजनिक मंदिर शिव जी का मन्दिर हैं। जो ग्राम परमदा के आराजी संख्या 73 रकबा 2.6850 हैक्टर भुमि पर स्थित हैं। जो संवत् 2058 से 2061 की जमाबन्दी में बिलानाम स्थित होकर जिसमें सभी गॉव

के लोग आते जाते हैं। सेवा पुजा करते हैं। विपक्षीगण द्वारा दिनांक 21.06.02 को आवंटन कमेटी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भुमिहीन काश्तकार बता औपचारिकताओ को उसी दिन पूर्ण करा मौजा काशिया के आराजी संख्या 73 रकबा 2.6850 किस्म मगरी में से 0.4000 हैक्टर भुमि अपने नाम पर आवंटीत करवा दी। जिसका राजस्व रेकार्ड में नामान्तरकरण संख्या 90 दिनांक 04.08.03 से दर्ज कर दिया गया। जिसका नया नम्बर 465/73 रकबा 0.4000 हैक्टर डालकर गैर खातेदारी से दर्ज कर दिया गया एवं नामान्तरकरण संख्या 154 दिनांक 16.01.13 से खातेदारी में दर्ज कर दिया गया। इसकी जानकारी ग्रामवासियों को नहीं थी। अभी हाल ही में दिनांक 18.11.15 को विपक्षीगण मौके पर अमीन लाकर भुमि की नपती करवा रहे थे तो गॉव के लोगो ने उनसे कहा कि मन्दिर की जमीन क्यो नपवा रहे हो तो गॉव के लोगो को उनके द्वारा कहा गया कि यह जमीन हमारे खाते की है मंदिर की नहीं हैं। जिस पर जॉच पड़ताल करवायी गई तो पता चला कि विपक्षीगण ने राजस्व कर्मचारीयों से मिलीभगत कर झुठी रिपोर्ट पेश कर उसे अपने नाम पर आवंटीत करवा ली है जबकि यह भुमि सार्वजनिक भुमि हैं। मौके पर आवंटीयों का भौतिक कब्जा नहीं हैं। महज कागजो में ही सारी कार्यवाही की गई हैं। भुमि की किस्म मंगरी है जिसका आवंटन नहीं हो सकता हैं। वास्तविकता को छिपाते हुए उसे आवंटीत किया गया हैं। साथही यह बात भी छिपायी गई कि उक्त भुमि पर महादेव का मन्दिर बना हुआ हैं और सार्वजनिक उपयोग उपभोग की हैं। विपक्षीगण द्वारा अपने आप को खेतीहीन काश्तकार बताकर भुमि आवंटन करवायी गई हैं। जबकि विपक्षीयों के नाम पर कई सारी भुमियॉ हैं। वह व्यवसाय करते हैं। विपक्षीयों द्वारा आवंटन की दिनांक से आज दिनांक तक कोई काश्त नहीं की गई हैं। झुठी रिपोर्ट दर्ज करवा गैर खातेदारी से खातेदारी में अंकित करवा दी हैं। जो कपट की परिभाषा में आता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा काशीया तहसील गिर्वा की विपक्षीगणो के नाम आवंटीत भूमि का आवंटन निरस्त फरमाया जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली हैं।

अपने जवाब में विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा निवेदन किया गया है कि मौजा काशीया की आराजी संख्या 73 रकबा 2.6850 हैक्टर बिलानाम भुमि में सार्वजनिक रूप से शिव जी का मन्दिर बना हुआ हो राजस्व रेकार्ड में ऐसा कोई मन्दिर होने का अंकन नहीं हैं तथा नाही उक्त आराजीयात पर प्रार्थीगणो का कोई स्वामित्व एवं आधिपत्य ही हैं। विपक्षी संख्या 1 व 2 भूमिहीन काश्तकार होने से मौजा काशीया की उक्त आराजी संख्या 73 में से 0.4000 हैक्टर भुमि नियमानुसार आवंटन कमेटी द्वारा आवंटीत की गई। काबिल काश्त बनाने पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 154 दिनांक 16.01.13 को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये। वक्त आवंटन मौके पर ही पटवारी हल्का द्वारा कब्जा सिपुर्द किया गया। कब्जा काश्त की बटा नम्बर 465/73 रकबा 0.4000 हैक्टर में किसी प्रकार का कोई मन्दिर स्थित नहीं हैं। विपक्षीगणो का यह कथन भी गलत है कि दिनांक 18.11.15 को अमीन लाकर जमीन की नपती करा रहे थे। जबकि आवंटन से ही विपक्षीगणो का ही मौके पर कब्जा रहा हैं। प्रार्थीगणो का यह कथन गलत है कि नियमन कमेटी को धोखे में रखकर वह वास्तविक तथ्य को छिपाकर सार्वजनिक उपयोग की भुमि का आवंटन करा लिया हो। बल्कि आराजी संख्या 73 का बहुत बड़ा भु भाग होकर उसमें से सिर्फ 0.4000 हैक्टर भुमि बिलानाम काबिल काश्त होने से आवंटन कमेटी द्वारा नियमानुसार विपक्षीगण को भुमि आवंटीत की गई थी। ऐसी स्थिति में विपक्षीगण को किया गया आवंटन नियमानुसार होने से निरस्त होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अतः प्रार्थीगणो का प्रार्थनापत्र खारीज करना फरमावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि विपक्षीगणों को मौजा काशीया पटवार मण्डल परमदा की बिलानाम आराजी नम्बर 73 रकबा 2.6850 किस्म मगरी में से भूमि का आवंटन गलत किया गया हैं। यह भुमि ग्राम

काशीया कुराबड़ चोरीया एवं परमदा के संयुक्त आधिपत्य का एक सार्वजनिक शिव जी का मन्दिर होकर इसी आराजीयात में बना हुआ हैं। इस भुमि का उपयोग समस्त ग्रामवासीयों द्वारा सार्वजनिक रूप से किया जाता रहा हैं। इस मंदिर की पुजा अर्चना उक्त समस्त ग्रामवासीयों द्वारा की जाती रही हैं। विपक्षीगणों द्वारा पटवारी एवं राजस्व अधिकारी कर्मचारीयों से मिलकर झुठे कथन करते हुए मिलीभगत से भुमि को अपने नाम पर आवंटन करवा ली। तत्पश्चात् पटवारी से मिलकर इस आवंटीत भुमि के खातेदारी अधिकार भी प्राप्त कर लिये गये। जबकि विपक्षी सद्भाविक काश्तकार नहीं होकर इसका व्यवसाय का कार्य हैं। विपक्षीगण द्वारा नियमन कमेटी को धोखे में रखकर वास्तविकताओ को छिपाकर सार्वजनिक उपयोग उपभोग की मन्दिर की भूमि का धोखाधड़ी कारीत करते हुए अवैध रूप से आवंटीत करवा ली गई हैं। ऐसा आवंटन विपक्षीगण द्वारा धोखे व कपटपूर्वक तरीके से सार्वजनिक उपयोग उपभोग की भूमि आवंटीत करवा उस पर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये है जो निरस्त योग्य हैं। अतः आवंटन निरस्त करवा पुनः बिलानाम भुमि दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

विद्ववान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा अपने जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि विपक्षीगण को आवंटीत भुमि का आवंटन आदेश की पालना में पटवारी हल्का परमदा द्वारा दिनांक 16.07.02 को भुमि का मौके पर मापकर विपक्षीगण को कब्जा सिपुर्द करते हुए पर्चा मौका भी बनाया गया। आवंटन आदेश से नामान्तरकरण संख्या 90 दिनांक 04.08.03 से जमाबन्दी में विपक्षीगणो के नाम पर गैर खातेदारी से इन्द्राज किया गया। जिसके खसरा नम्बर 465/73 रकबा 0.4000 हैक्टर होकर नक्शे में पैमुद किये गये। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में झुठे तथ्यों के आधार पर शिकायत की है जबकि मौके पर और भी काफी आराजीयात खुली पड़ी हुई हैं। आराजी संख्या 73 में कोई शिव मन्दिर बना हुआ नहीं है नाही राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी नक्शा ट्रेस व खसरा गिरदावरी में शिव मन्दिर का अंकन हैं। झुठा बहाना लेकर शिव मन्दिर के होने का कथन करते हुए विपक्षीगण का आवंटन निरस्त करवाना चाह

रहे हैं। आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन से पूर्व सारी प्रक्रिया का पालन किया गया। नियमानुसार ही यह आवंटन किया गया हैं। विपक्षीगण के साथ साथ अन्य लोगो को भी आवंटन किया गया हैं। विपक्षीगण भुमिहीन काश्तकार होकर किसी भी तरह से कोई तथ्य छिपाकर उक्त आवंटन नहीं करवाया गया बल्कि विधिवत व नियमानुसार ही उनके पक्ष में आवंटन किया गया हैं। विपक्षीगण के नाम पर हुए आवंटन की जानकारी प्रार्थीगण को पूर्व में ही थी। लेकिन अब ये लोग स्वयं उक्त भुमि पर कब्जा करने की नियत से झुठे आरोप लगाकर विपक्षीगण का आवंटन निरस्त कराना चाह रहे है जो विधिसम्मत नहीं हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अध्ययन किया गया। जिसमें विपक्षी के आवेदन पत्र पर पटवारी हल्का द्वारा विधिवत जॉच की गई हैं। जॉच के पश्चात् आवंटन कमेटी द्वारा विपक्षीगण को विधिवत भुमि का आवंटन किया गया। आवंटन के उपरान्त पटवारी हल्का द्वारा कब्जा सिपुर्द कर पर्चा मौका कायम किया गया हैं। आवंटन पत्रावली के अवलोकन एवं बहस पर मनन करने के पश्चात् न्यायालय का मत है कि विपक्षीगण को भूमि का आवंटन विधिवत हुआ हैं। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं हुई हैं। प्रार्थी द्वारा किया गया कथन कि विपक्षी द्वारा झुठ व कपट से आवंटन करवाया गया है जिसे वह साबित कराने में असफल रहा हैं। प्रार्थी द्वारा ऐसे कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे यह साबित होता हो कि आवंटन के पश्चात् आवंटीत भुमि पर विपक्षीगणो का कब्जा नहीं रहा हो या इनके द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई हों। संलग्न जमाबन्दी संवत् 2058 से 2061 में आराजी संख्या 73 क्षेत्रफल 2.6850 किस्म मगरी दर्शा रखी है परन्तु इस आराजीयात में कही पर भी मन्दिर दर्ज नहीं हैं। नाही प्रार्थी ऐसा कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया हो जिससे यह साबित होता हो कि इस आराजीयात पर मन्दिर होकर इस भुमि का उपयोग उपभोग सार्वजनिक रूप से वर्णित ग्रामवासी

काशीया कुराबड़ चौरीया एवं परमदा के लोगो द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता रहा हों। प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को साबित कराने में असफल रहा हैं।

उपरोक्त विवेचन से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित नहीं पाया जाने से खारीज किया जाता हैं।

निर्णय की प्रति तहसीलदार गिर्वा को प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
**जिला कलक्टर**
**उदयपुर**